Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

उच्च शिक्षित महिलाओं में बेरोजगारी

Dr. Kamlesh Singh[1]* Dr. (Smt.) Anita Singh[2]

[1] Associate Professor, Department of A. H. & Dairying KAPG College, Prayagraj, Uttar Pradesh

[2] Principal, KMV Inter College, Sewapuri, Varanasi, Uttar Pradesh

सार – ***आज के समय में शिक्षित बेरोजगारी भारत के आर्थिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि आज शिक्षा का मूल मकसद धन उपार्जन करना ही है महिला शिक्षा के मामले में अभी भी हमारे देश की स्थिति दयनीय है। देश में समाज कल्याण एवं स्त्रियों की उच्च शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। महिलाओं में निम्न रोजगार दर संपत्ति है और लैंगिक समानता के कारण गैर भेदभाव मूल्य वाले कार्यों में उन्हें कम पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए पंचवीय योजनाओं में उल्लेखनीय प्रयास किए गए। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।***

----------X----------

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नही रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हे सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। आर्य समाज आदि समाज-सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा के लिए प्रयास आरम्भ किये। उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री-पुरूष समानता, स्त्री-शिक्षा, सती-प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829, 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891 में एज आफ कन्सटेन्ट बिल, 1891, बहु विवाह रोकने के लिये वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी में प्रारम्भ में स्त्री-शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी परन्तु ईसाई मिशनरियों ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले। सन् 1851 में मिशनरियों द्वारा 371 बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या 11,193 थी। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास भी किये गये थे। सन् 1854 के "वुड के आदेश-पत्र" में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और कहा गया कि इस शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी सम्भव प्रयास किये जायें।

इस प्रकार 1854 से 1882 तक की अवधि में स्त्रियों की उच्च शिक्षा अत्यन्त निराशाजनक थी। 1882 में कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या 5 थी, पर 1902 में यह संख्या बढ़कर 264 हो गई। व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी थी। 1902 में महिलाओं के लिए महाविद्यालयों की संख्या 12 थी। 1921 में 1263 लड़कियाँ, कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। 1916 में स्त्रियों को चिकित्सा शिक्षा की विशेष सुविधा देने के लिए "लेडी हार्डिन्ग कॉलेज का दिल्ली में निर्माण किया गया। 1926 में स्त्रियों ने अखिल भारतीय महिला संघ" का निर्माण और 1927 में अखिल भारतीय स्त्री-शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने पुरुषों के अनुरूप विविध प्रकार की शिक्षा की अधिकारिणी होने की माँग का नारा बुलन्द किया।

1937 से 1947 तक स्त्री शिक्षा की विशेष रूप से उच्च शिक्षा की अति तीव्र प्रगति हुई। भारत सरकार ने 4 नवम्बर, 1948 को डॉ. राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग" की नियुक्ति की, इस आयोग ने भी स्त्री शिक्षा का महत्व बतलाते हए लिखा है- "शिक्षित स्त्रियों के बिना हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं, स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा को अन्य पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जा सकेगा। 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त श्री हंसा मेहता

www.ignited.in

समिति ने स्त्री उच्च शिक्षा का प्रसार किया। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को यू.जी.सी. के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की घोषणा की जिसके अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के उच्च स्तरीय सुझाव प्रस्तुत किये गये।

समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्रालय ने 1971 में विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों की स्थिति ज्ञात करने एवं कमियों को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट का प्रारुप 1973 में प्रस्तुत किया जिससे इस समिति ने स्त्री उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रस्तत कियेः-

"उच्च शिक्षा का प्रसार (सामान्य अथवा व्यवसायिक) अभी भी बहुत समिति है। इसलिए स्त्रियों को उच्च शिक्षा में और वृद्धि की आवश्यकता है।

भारत में साक्षरता की दशकीय स्थिति

(स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद)				
जनगणना वर्ष	**कुल साक्षरता दर**	**पुरुष साक्षरता दर**	**महिला साक्षरता दर**	**साक्षरता दर में अंतर**
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.44	15.35	25.05
1971	34.45	65.96	21.97	23.91
1981	43.57	56.38	29.46	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.84	75.26	53.67	21.59
2011	74	82.1	65.5	16.7

महिला शिक्षा के मामले में अभी भी हमारे देश की स्थिति दयनीय है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो सुधार की संभावनाएं थोड़ा संतोष देती है, लेकिन उच्च शिक्षा की स्थिति आज भी बेचैन कर देने वाली है। आज भी कॉलेज और विश्विद्यालयों में लड़कियों की संख्या काफी कम है और जो हैं, उसमें भी अधिकांश कुछ बड़े शहरों तक सीमित है, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बदतर है।

शिक्षित बेरोज़गारी (Educated Unemployment)

कोई व्यक्ति सालों लगाकर स्नातक, स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेता है लेकिन जब वह अपनी पढ़ाई समाप्त करके और डिग्री साथ लेकर बाज़ार में आता है तो उसे कोई काम ही नहीं मिलता है और वह बेरोजगार हो जाता है, तो इसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है।

आज के समय में शिक्षित बेरोजगारी भारत के आर्थिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि आज शिक्षा का मूल मकसद धन उपार्जन करना ही है और इसीलिए लोग लाखों या करोड़ों रुपए खुद पर निवेश करते हैं ताकि जब वह बाज़ार में आए तो उसे मनचाहा काम मिल जाये।

लेकिन जब बाज़ार में रोजगार का सृजन ही नहीं हो रहा हो या अगर हो भी रहा है तो अपेक्षित योग्यता वाले लोग ही नहीं मिल पा रहे हों तो फिर शिक्षित बेरोज़गारी एक समस्या तो बनेगी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं लेकिन उसमें से कुछ को जॉब मिल पाता है बाकी के नसीब में बेरोज़गारी ही आता है। यह स्थिति हमारे देश की आर्थिक विकास में बाधक बन रहा है, मोटे तौर पर देखें तो बेरोज़गारी को दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं:-

(1) अनैच्छिक बेरोजगारी और

(2) ऐच्छिक बेरोजगारी

ऐसे व्यक्ति, जो धन उपार्जन करना चाहता है और वह रोजगार की तलाश में भी है लेकिन रोजगार पाने में असमर्थ है, उसे बेरोज़गार कहा जाता है और इस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक इसीलिए क्योंकि काम करने की इच्छा तो है लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है।

वहीं दूसरी तरफ, ऐसे व्यक्ति जो खुद ही काम नहीं करना चाहता या अगर करना भी चाहता है तो सैलरी कम मिलने के कारण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ऐच्छिक बेरोज़गारी को बेरोज़गारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है; ऐसा इसीलिए क्योंकि काम तो उपलब्ध है लेकिन किसी कारण से व्यक्ति खुद ही नहीं करना चाहता है।

तो कुल मिलाकर यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि अनैच्छिक बेरोजगारी को ही बेरोजगारी माना जाता है और इसी अनैच्छिक बेरोजगारी को आगे चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभाजित किया जाता है, ।शिक्षित बेरोज़गारी भी काम तो करना चाहता है, धन तो उपार्जन करना चाहता है लेकिन उसे काम ही नहीं मिलता है।

शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए उनकी शिक्षा बोझ साबित होती है। लोगों को रोजगार की तलाश में अपने घर एवं शहर से पलायन करना पड़ता है। कुंठा, अभाव, असुरक्षा की भावनाओं से ग्रस्त कितने ही युवा सही दिशा पाने के बजाय आपराधिक गतिविधियों का शिकार होते हैं और इन्हीं कारणों से उनमें मनोग्रस्तता, पराधीनता, स्वास्थ्य चिंता का स्तर

www.ignited.in

अधिक होता है। लंबी अवधि से चली आ रही बेरोजगारी के कारण युवक स्वयं की पहचान को धीरे-धीरे खोने लगता है।

उद्देश्य

1. महिलाओं के लिए शैक्षिक योजनाएं
2. श्रम बल में शिक्षित महिलाओं की भागीदारी
3. महिलाओं में शिक्षित बेरोजगारी का समाज में प्रभाव

नीतियों का प्रभाव और उपाय

महिलाओं में निम्न रोजगार दर संपत्ति और संसाधनों पर कमजोर पकड़ अनौपचारिक और संवेदनशील रोजगार में मौजूदगी, निम्न आय और सामाजिक सुरक्षा की कमी। इन सभी के चलते वे पुरुषों के मुकाबले कमजोर स्थिति में पहुंच जाती हैं। यह कहना है। आईएलओ ब्यूरो फॉर जेंडर इक्वालिटी की निदेशक जेन होजेस का। उनके अनुसार, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वे लंबे घंटों तक काम कर सकती हैं या फिर निम्न आय वाली कई नौकरियां कर सकती हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई अवैतनिक प्रतिबद्धताएं भी निभानी पड़ती हैं।

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया का कहना है कि लैंगिक समानता को किसी भी नीति का प्रमुख सिद्धांत बनाया जाना चाहिए चूंकि आर्थिक संकट का असर सिर्फ महिलाओं पर नहीं, समाज की समूची स्थिरता पर पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि महिलाएं विभिन्न भूमिकाएं एक साथ निभाती हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में जारी बयान में श्री सोमाविया ने कहा है कि श्रम की दुनिया में स्त्री-पुरुष असमानता लंबे समय से चिंता का विषय रही है- लेकिन आर्थिक संकट के चलते इसके और गहराने की आशंका है। आर्थिक उथल-पुथल के दौर में महिलाओं को अक्सर नकारात्मक परिणामों का अधिक सामना करना पड़ता है और फिर उसकी बहाली का लाभ भी उन्हें पुरुषों की तुलना में देर से मिलता है।

इसके अतिरिक्त इन उपायों के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं के लिए दीर्घकालीन और गुणवत्तापूर्ण रोजगार, बेरोजगारी लाभ और बीमा योजनाओं-जो श्रम बाजार में महिलाओं की संवेदनशील स्थिति को मान्यता दे- सहित अन्य व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना और नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने के साथ अन्य सामाजिक संवाद जैसे मुद्दों पर काम किया जा सकेगा।

आज महिलाएं पहले से अधिक संख्या में औपचारिक अर्थव्यवस्था में हैं। सार्वजनिक सेवाओं में ये बड़ी संख्या में हैं और विश्व स्तर पर समान अवसरों वाली नीतियां भी लगातार बनाई जा रही हैं। जहां विश्व के अनेक हिस्सों में औपचारिक श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वहीं वे न्यायोचित वैश्वीकरण के लिए सामाजिक प्रकार के भेदभाव भी देख रही हैं। लगभग सभी न्याय के आईएलओ घोषणापत्र में भी यह पुष्ट किया है कि जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले समान गया था फिर भी उन्हें लैंगिक समानता और गैर भेदभाव के कारण कम पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

समाज में महिलाओं का स्थान पुरूषों के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिला अबला नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरुष से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपर्युक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रूझान बढ़ा है अर्थात् वे शिक्षित हुई हैं, वैसे-वैसे वे सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई है तथा आत्मनिर्भर बनी हैं। अतः महिला और पुरुष दोनों रथ के पहियों के समान है। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि शिक्षित नारी का उभरता हुआ कदम क्या होगा, समय ही बतायेगा।

लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बडी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा मे आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूर का कम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा, के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय कन्या। केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के कियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा हैं। इसमें प्रमुख रूप से बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है।

महिलाओं के लिए शैक्षिक योजनाएं

1. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

2. जन शिक्षण संस्थान

महिलाओं के लिए बेरोजगार की दर 2019-20 में घटकर 4.2 फीसद रह गई, जो 2018-19 में 5.1 फीसद थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आवधिक श्रमबल सर्वे (पीएलएफएस) से यह जानकारी मिली है। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए कई सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेश या पालना घर सुविधा का ख्याल रखा गया है। प्रावधान में सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में महिला कर्मचारियों को अनुमति देना शामिल हैं।

श्रम मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया, महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 में 5.1 फीसद के मुकाबले घटकर 2019-21 में 4.2 पर आ गई है। बयान के मुताबिक, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

उपसंहार

इस लेख में दिए गए विवेचन से स्पष्ट है कि बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए पंचवीय योजनाओं में उल्लेखनीय प्रयास किए गए। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मंत्रालय की ओर महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए कई सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. एकाफ रसेलः मेथड इन ह्यूमन रिलेशन्स।

2. एफ्ट डी. आर.: क्रिमिनालाजी ए कल्चरल इन्टरप्रेटेशन।

3. ए मिकियावलीः एक्सपेरीमेन्ट्स इन पुलिस इम्प्रूवमेन्ट: ए प्रोग्रेस रिपोर्ट वांशिगटन,

4. डी.सी.: पुलिस फाउन्डेशन, एम.डी. पृ. 361 द्य

5. एगस्टाइन मोरिसः ए गाइड टू कोर्ट सिस्टम न्यूयार्क: इन्स्टीट्यूट ऑफ ज्यूडिशियल एनमिनिस्ट्रेशन, 2011,

6. एक्वर्ट जे.रीजः दी पुलिस एण्ड पब्लिक लाइफ यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972, पृ. 1111

7. अहूजा, बाबूरामः सामाजिक समस्यायें एलियट एण्ड मेरिल: सोशल डिसआर्गनाइजेशन।

8. कादरी, एम.ए. (2016): पुलिस एण्ड लॉ- ए सोशियो-लीगल एनलिसिस गुलशन

9. क्विक्टमः चेन्जेज इन रोल कान्सेप्टस ऑफ पुलिस आफीसर्सः ए रिसर्च प्रोजेक्ट पुलिस चीफ, जुलाई 2012,

10. कार्टिन सीमन्टस इमोशनल्स है ईस ऑफ पुलिस नई अमेरिकन जनरल ऑफ साइको एनलिसिस, वाल्यूम-30, 2010

Corresponding Author

Dr. Kamlesh Singh*

Associate Professor, Department of A. H. & Dairying KAPG College, Prayagraj, Uttar Pradesh

www.ignited.in